न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/62/2024	2024/96	30-10-2024	08.01.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. श्री भगवान सिंह पुत्र श्री नेतराम निवासी ग्राम भितरेडी तहसील नगर जिला भरतपुर हाल निवासी मन्नाका रोड, खुदनपुरी अलवर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. श्री विनोद जुनेजा –विभागीय प्रतिनिधि।

–:: निर्णय ::–

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.00.2024 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी वहगराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैरा के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री भगवान सिह पुत्र श्री नेतराम, निवासी ग्राम गितरेडी तहशील नगर, जिला भरतपुर हाल निवासी गन्नाका रोड, खुदनपुरी अलवर की भगवान वर्कशॉप, गन्नाका रोड, सुदनपुरी, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री भगवान सिह पुत्र श्री नेत्तराग, निवासी ग्राम गितरेडी तहसील नगर जिला भरतपुर हाल निवासी मन्नाका रोड, खुदनपुरी अलवर उपस्थित मिले। श्री भगवान सिंह पुत्र श्री नेतराम की दुकान पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्युलेटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री भगवान सिह पुत्र श्री नेतराम द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री भगवान सिह के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व रेग्यूलेटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्यूलेटर को मै० प्रसन्ना गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री महेश प्रजापत पुत्र श्री कल्याण सहाय को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री भगवान सिंह पुत्र श्री नेतराम की दुकान पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्यूलेटर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री भगवान सिंह द्वारा वक्त जांच उक्त घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री भगवान सिह के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6—ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 मोटर व 1 रेग्यूलेटर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)